न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए संख्या/812/2006/भीलवाड़ा

1– लादू पुत्र गंगाराम जाति जाट
2– रामलाल पुत्र गंगाराम जाति जाट
निवासीगण माल का खेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1– बंशीलाल पुत्र मांगू जाति जाट
2– उगमा पुत्र उंकार जाति जाट
3– लादू मुतबन्ना नंदा जाति जाट
निवासीगण माल का खेड़ा, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा।
4– राजस्थान सरकार।

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ
श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–
1– श्री मदनलाल गुर्जर, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स
2– श्री एस0पी0 ओझा, राजकीय अभिभाषक
रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित

–निर्णय–

दिनांकः– 07.05.2026

1– अपीलांट ने यह अपील भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 16–03–2005 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की अपील को स्वीकार किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रतिवादी राज्यपक्ष के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम हरिपुरा तहसील माण्डल की सरहद में पूर्व सेटलमेंट की आराजी खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 मिन कुल किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के पूर्वज धूकल, मांगू, उगमा व नन्दा के नाम राजस्व

रिकार्ड में दर्ज है। दौराने सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 421, 422, 423, 451 से 460 कायम किये गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 423 वादीगण के नाम दर्ज नहीं करते हुए बिलानाम गैर काश्तकार दर्ज करते हुए नक्शे में रास्ता अंकित किया गया, के बाबत् वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की मांग की गई। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र एवं राज्यपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित दो तनकीयात् कायम करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 31-08-2024 के माध्यम से वादीगण के वादपत्र को खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 16-03-2005 द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को आराजी खसरा नम्बर 423 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा द्वितीय अपील मय धारा 96 सीपीसी साथ ही मियाद अधिनियम धारा 5 प्रार्थना पत्र मय शपथ-पत्र मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांट्स व राज्यपक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने बहस करते हुए कथन किया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती पेश करते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम हरिपुरा तहसील माण्डल की सरहद में पूर्व सेटलमेंट की आराजी खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 मिन कुल किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के पूर्वज धूकल, मांगू, उगमा व नन्दा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि रही है। जिसके हाल खसरा नम्बर 421, 422, 423, 451 से 460 कायम किये गये। उक्त हाल खसरा नम्बरान को वादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर 423 को राजस्व रिकार्ड में बिलानाम गैर काश्तकारी दर्ज कर नक्शे में रास्ता प्रदर्शित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 423 वादीगण की खातेदारी की आराजी गत खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 मीन कुल किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा से बने है, भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकारों की

घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की मांग किये जाने पर प्रतिवादी राज्य पक्ष द्वारा जवाबदावा पेश करते हुए वादपत्र के कथनों को इंकार करते हुए कथन किया गया कि हाल खसरा नम्बर 423 सार्वजनिक रास्ता है तथा साबिक खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 मीन कुल किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा के बने नवीन खसरा नम्बर 421, 422, 451 से 460 का कुल रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा परिवर्तन से 1 बीघा 18 बिस्वा अधिक है तथा नवीन खसरा नम्बर 423 गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता साबिक आराजी नम्बर में से वादीगण के 19 बीघा 4 बिस्वा रकबे से शेष बचे बिलानाम रकबे से बना है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र, जवाबदावे व राजस्व रिकार्ड के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए उनका विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए वादीगण के वादपत्र को खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विधि विपरीत जाकर वादीगण की अपील को मात्र सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश के माध्यम से स्वीकार करते हुए वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 423 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। जबकि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया कि अपीलांट्स की खातेदारी आराजीयात में पहुंचने के लिये कदीम से आराजी नम्बर 423 गैर मुमकिन रास्ते के काम आ रही है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा आगे कथन किया गया कि वादीगण के पास गत रकबा के मुकाबले अधिक रकबा दर्ज है तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा अधिक रकबा दर्ज होने बाबत अपना कोई विवेचन नहीं दिया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 423 पूर्व में बिलानाम रास्ता था जिसे सही रूप से रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे, जिसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस संबंध में अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। लिहाजा अपीलांट्स द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थन पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जावे।

5- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा मियाद अधिनियम धारा 5 के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश पारित किये जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर आने जाने हेतु अवरूद्ध पैदा किया गया। अपीलांट्स को अपील में पक्षकार स्थापित नहीं किया

गया। उक्त रास्ते को बंद कर दिये जाने पर उक्त आदेश की जानकारी अपीलांट्स को दिनांक 15-12-2005 को हुई। तदुपरान्त अपीलांट्स द्वारा नकल प्राप्त कर अविलम्ब उक्त अपील जानकारी के दिन से पेश की गई है। इस संबंध में नैसर्गिक न्याय की मंशा भी सुस्पष्ट है कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अतः अपील पेश करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षम्य करते हुए अपीलांट्स की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

6- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा धारा 96 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 423 प्रारम्भ से ही राजस्व अभिलेख में बिलानाम व रास्ते की भूमि दर्ज रही है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स को पक्षकार स्थापित नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश के माध्यम से राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को उक्त रास्ते की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपीलांट्स की खातेदारी भूमियों में आने जाने अवरूद्ध पैदा करते हुए गैर मुमकिन रास्ते को बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आराजी जैर पर अपीलांट्स के हितों की सुरक्षा के बिन्दु को दृष्टिगत् रखते हुए धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

7- राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस करते हुए कथन किया कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती की मांग किये जाने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख की जांच करते हुए वादीगण के वादपत्र को खारिज किया गया। इसके विपरीत उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेख की जांच किये मात्र सरसरी तौर भू-प्रबंध विभाग की त्रुटि मानते हुए वादीगण की अपील को स्वीकार करते हुए वादीगण को खसरा नम्बर 423 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है। चूंकि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जिसकी खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ विचारणन्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-08-2004 को यथावत् बहाल रखा जावे।

8– विद्वान अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील के साथ–साथ अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों एवं अभिलेख का गहनता के साथ अध्ययन किया गया।

9– प्रकरण में सर्वप्रथम जहां तक मियाद का प्रश्न है, अपीलांट्स द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 16–03–2005 के विरूद्ध अपील दिनांक 10–02–2006 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील के साथ मियाद को कण्डोन करने हेतु शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट्स मूल अपील में बतौर पक्षकार स्थापित नहीं थे, ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश की जानकारी निर्धारित समयावधि में नहीं होना स्वाभाविक है। विधि की भी यह मंशा रही है कि जहां प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहां मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर न्यायालय को नरम रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय हेतु अग्रसर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षम्य करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

10– अपीलांट्स द्वारा अपील मय धारा 96 सीपीसी पेश करते हुए अपील पेश करने की अनुमति चाही गई है। हस्तगत प्रकरण में आक्षेपित आदेश की पालना में सुखाचार का रास्ता अवरूद्ध किया जाना प्रकट होता है। अपीलांट्स द्वारा उक्त सुखाचार के रास्ते का उपभोग आवागमन हेतु किया जाना अभिलिखित किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट्स का अपील अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

11– प्रकरण में में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा राज्यपक्ष के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि ग्राम हरिपुरा तहसील माण्डल की सरहद में पूर्व सेटलमेंट की आराजी खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 मिन कुल किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के पूर्वज धूकल, मांगू, उगमा व नन्दा के नाम राजस्व रिकार्ड भूमि रही है। दौराने सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 421, 422, 423, 451 से 460 कायम किये गये। परन्तु राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 423 वादीगण के नाम दर्ज नहीं करते हुए बिलानाम गैर काश्तकार दर्ज करते हुए नक्शे में रास्ता अंकित किया गया, उक्त खसरा नम्बर के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की अन्तर्गत धारा 88 व 89 वादपत्र पेश करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती की मांग किये जाने पर अधीनस्थ

विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी राज्यपक्ष द्वारा वादीगण के वादपत्र के कथनों को इंकार किये जाने पर वादपत्र, जवाबदावे व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अनुतोष सहित दो विवाद्यक विरचित करते हुए उनका विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय व डिक्री दिनांक 31-08-2004 के माध्यम से वादीगण के वादपत्र को खारिज किया गया। इसके विपरीत वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष अपील पेश किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय दिनांक 16-03-2005 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स को खसरा नम्बर 423 का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा हस्तगत द्वितीय अपील मय धारा 96 सीपीसी मण्डल न्यायालय के समक्ष पेश की गई।

12- हस्तगत प्रकरण वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादपत्र के माध्यम से अभिकथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी गत खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 मिन कुल किता 3 कुल रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा वादीगण के पूर्वजो के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड भूमि रही है, दौराने सेटलमेंट हाल खसरा नम्बर 421, 422, 423, 451 से 460 पैमूद हुए। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा खसरा नम्बर 423 को वादीगण के नाम दर्ज न करते हुए बिलानाम गैर काश्त दर्ज कर राजस्व रिकार्ड यथा जमाबंदी एवं नक्शें में रास्ते का अंकन कर दिया गया। इस प्रकार पक्षकारान के मध्य मूल विवाद आराजी खसरा नम्बर 423 से संबंधित रहा है। जिसका आधार सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा उक्त खसरा नम्बर में रास्ता कायम कर दिया जाना है। इस संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। सेटलमेंट विभाग द्वारा जारी पर्चा प्रदर्श 6 का अवलोकन किया, जिसमें साबिक खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 में 19 बीघा 4 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम अंकित है। इसी पर्चा लगान में आगामी रूप से कॉलम संख्या 1 में खसरा नम्बर 423 अंकित करते हुए गैर मुमकिन रास्ता अंकित है तथा कॉलम संख्या 8 में खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 अंकित है। जिससे यह स्पष्ट है कि साबिका खसरा नम्बर 151, 179 व 180/2 की 19 बीघा 04 बिस्वा भूमि जोकि उपरोक्त खसरा नम्बरान् की शामलाती भूमि रही है के अतिरिक्त उपरोक्त साबिका खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 423 की 06 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ते में दर्ज रही है। ऐसी स्थिति में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्ववर्ती खसरा नम्बरान् 151, 179 व 180/2 में 19 बीघा 4 के अतिरिक्त उपरोक्त

खसरा नम्बरान् की शेष भूमि 06 बिस्वा शामलाती भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना जाहिर होता है। लिहाजा वादीगण की भूमि पूर्व नक्शा ट्रेस से कम होना परिलक्षित नहीं होता है।

13– अवधार्य बिन्दु यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जा सकते है अथवा नहीं ?इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के नियम 21 का अवलोकन किया, जिसमें अभिलिखित किया गया है किः–

Khatedari Rights in Rasta by Settlement Authorities- The Settlement Authorities cannot confer Khatedari rights in Gair Mumkin Rasta.

इसी अनुक्रम में हमने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के नियम vi का अवलोकन किया, जिसमें अभिलिखित किया गया है किः– Sec. 16- Land in which khatedari rights shall not accrue- Notwithstanding anything in this Act or [in any other law or enactment for the time being in force in any part of the state] Khatedari rights shall not accure in--

(vi) Land acuired or held for a public purpose or a work of bublic utility.

प्रकरण में चूंकि यह स्वीकृत स्थिति हे कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 423 की 6 बिस्वा भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जिसकी खातेदारी अधिकारी विधिनुसार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है। इसी अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (vi) में भी यह अभिनिर्धारित करती है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को खारिज किया गया है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त इन्द्राजात् को भू–प्रबन्ध विभाग की त्रुटि मानते हुए अपील को स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुष्टि योग्य नहीं होने से अपीलांट्स की हस्तगत् द्वितीय अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपीलांट् की द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है व अपीलीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकरी, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 16-03-2005 का अपास्त किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-08-2024 यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य